उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 146/2017

1. अशोक कुमार
2. वेद प्रकाश

पुत्र सावनदास जाति अरोड़ा निवासी नगर परिषद कालोनी यू.टी.आई. रोड़ श्रीगंगानगर

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. सावनदास पुत्र दीपाराम जाति अरोड़ा निवासी 9 एम.एल. लट्ठावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. श्रीमति द्रोपती देवी सावनदास जाति अरोड़ा निवासी 9 एम.एल. लट्ठावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

3. मनोज कुमार पुत्र सावनदास जाति अरोड़ा निवासी नगर परिषद कालोनी यू.टी.आई. रोड़ श्रीगंगानगर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

– – आवश्यक प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 53, 188, 92ए आर.टी.ए. बाबत घोषणा व खाता तकसीम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री बलराम स्वामी अधिवक्ता — वादी
2. श्री हरीश सोनी अधिवक्ता — प्रतिवादी संख्या 1 व 2

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 13.06.2017

वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 53, 188, 92ए आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादीगण एवम् प्रतिवादीगण संख्या 3 के नाम से चक 9 एम.एल. तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 107/84 मुरब्बा नम्बर 45 किला नम्बर 1 ता 13 की 3.101 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 49 किला नम्बर 14, 15, 16, 25 की 0.781 हैक्टर कुल 3.882 हैक्टर खातेदारी दर्ज है। जमाबन्दी की नकल शामिल है।

प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम से चक 9 एम.एल. तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 110/87 मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 1/.228, 10, 11, 20, 21, 22 का 1.265 हैक्टर किला नम्बर ..../0.061 हैक्टर कुल 1.554 हैक्टर तथा मुरब्बा नम्बर 36 का किला नम्बर 3 ता 8, 13/2 से 24, 25 का 3.088 हैक्टर कुल 4.642 हैक्टर खातेदारी दर्ज है। जमाबन्दी की नकल शामिल है।

वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पुत्र होने तथा परिवार बढ़ जानें से काफी अरसा पूर्ण सम्पत्ति का पारिवारिक विभाजन पारिवारिक समझौता द्वारा करते समय प्रतिवादी संख्या 1, 2 नें वृद्ध होनें के कारण तथा भूमि काश्त कर पानें में असमर्थ होनें से (प्रतिवादी संख्या 1 वृद्ध होनें तथा प्रतिवादी संख्या 2 औरत जात होनें से भूमि काश्त कर पानें में असमर्थ होनें से) अपनी स्वेच्छा से अपनें नाम से दर्ज उक्त आराजी 4.642 हैक्टर को

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

वादी तथा प्रतिवादी संख्या 3 को विभाजन में दे दिया तथा स्वयं संयुक्त हिन्दु खानदान की अन्य सम्पत्ति जिसमें नगदी, जेवरात, व्यावसायिक भू-खण्ड चक 6 ई छोटी मुरब्बा नम्बर 38 किला नम्बर 11, 12 पैमाईशी 25 गुणा 50 तथा 9 एम.एल. लट्ठावाली का मकान तथा अन्य चल अचल सम्पत्ति प्राप्त कर ली तथा पारिवारिक समझौता अनुसार अपनें नाम से दर्ज चक 9 एम.एल. के खाता संख्या 110/87 मुरब्बा नम्बर 35, 36 की 4.642 हैक्टर में अपना कोई हक हिस्सा ना रहनें का मान लिया तथा इसी कारण व्यावसायिक भू खण्ड का नामान्तरकरण भी नगर परिषद् श्रीगंगानगर में प्रतिवादी संख्या 1 नें अपनें नाम करवा लिया है।

इस प्रकार वादी तथा प्रतिवादी संख्या 3 चक 9 एम.एल. के खाता संख्या 107/84 मुरब्बा नम्बर 45, 49 की कुल 3.882 हैक्टर तथा खाता संख्या 110/87 मुरब्बा नम्बर 35, 36 की 4.642 हैक्टर कृषि भूमि के बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार हकदार व काबिज चले आ रहे है।

वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 में उक्त भूमि का आपसी सहमति से विभाजन होकर निम्न प्रकार से काबिज चले आ रहे है :-

1. वादी संख्या 1 के हिस्सा व कब्जा की अराजी का विवरण :- चक 9 एम.एल. के खाता संख्या 110/87 मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 3, 4, 5 प्रत्येक 18-18 बिस्वा किला नम्बर 6, 7, 8, 14, 15 सालम किला नम्बर 13/1 में 10 बिस्वा खाता संख्या 107/84 मुरब्बा नम्बर 49 का किला नम्बर 14 सालम, 15, 16 प्रत्येक 18-18 बिस्वा 25 के 6 बिस्वा कुल 11.06 बीघा।
2. वादी संख्या 2 वेदप्रकाश के हिस्सा व कब्जा की भूमि का विवरण :- चक 9 एम.एल. के खाता संख्या 107/84 मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 1 ता 13 की 3.101 हैक्टर (12.05 बीघा)
3. प्रतिवादी संख्या 3 मनोज के हिस्सा व कब्जा की भूमि का विवरण :- चक 9 एम.एल. के खाता संख्या 110/87 के मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 1 का 18 बिस्वा किला नम्बर 10, 11, 20, 21, 22 सालम 19/2 के 5 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 16, 17, 24, 25 कुल 10.03 बीघा (2.568 हैक्टर)

वादीगण नें अपनें कब्जा काश्त के रकबा में भारी मेहनत व काफी रूपया लगाकर सुधार कार्य किया हुआ है तथा और सुधार कार्य करवाना चाहते है इसलिये अपनें अधिकारों की घोषणा करवाना तथा उक्त आराजी का विभाजन कब्जा काश्त के आधार पर करवाना चाहते है तथा इसके लिये बार बार प्रतिवादीगण से आग्रह किया मगर प्रतिवादीगण के मन मे लालच आ जानें से तथा रकबा प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम दर्ज होनें से वह वादीगण को बेदखल करनें तथा अन्य को मुन्तकिल करनें की कोशिश में होने से टाल मटोल करते हुए दिनांक 05.07.2015 को साफ इन्कारी है यह बिनाय मुखास्मत है। तथा दावा लाना आवश्यक है।

अतः दावा वादीगण बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :-

(क) डिक्री घोषणा इस अमर की सादिर की जावे कि चक 9 एम.एल. के खाता संख्या 110/87 मुरब्बा नम्बर 35, 36 की 4.642 हैक्टर जो प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम दर्ज है, पारिवारिक समझौता में वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 3 को मिली होनें से वह इस आराजी तथा खाता संख्या 107/84 मुरब्बा नम्बर 45, 49 की कुल 3.882 कुल दोनों खातों में 8.524 हैक्टर के बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार व हकदार है प्रतिवादी संख्या 1, 2 का नाम हटाकर वादी प्रतिवादी संख्या 3 का नाम खाता संख्या 110/87 में दर्ज करनें का आदेश फरमाया जावे।

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

(ख) उक्त आराजी 8.524 हैक्टर का विभाजन वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 3 के बीच वाद पत्र की चरण संख्या 6 के अनुसार करवाया जाकर प्रत्येक के नाम से किलावाईज अलग अलग खाते कायम दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे जो कि निम्न प्रकार से दर्ज किया जावे :–

1. वादी संख्या 1 के हिस्सा व कब्जा की अराजी का विवरण :– चक 9 एम.एल. के खाता संख्या 110/87 मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 3, 4, 5 प्रत्येक 18–18 बिस्वा किला नम्बर 6, 7, 8, 14, 15 सालम किला नम्बर 13/1 में 10 बिस्वा खाता संख्या 107/84 मुरब्बा नम्बर 49 का किला नम्बर 14 सालम, 15, 16 प्रत्येक 18–18 बिस्वा 25 के 6 बिस्वा कुल 11.06 बीघा।
2. वादी संख्या 2 वेदप्रकाश के हिस्सा व कब्जा की भूमि का विवरण :– चक 9 एम.एल. के खाता संख्या 107/84 मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 1 ता 13 की 3.101 हैक्टर (12.05 बीघा)
3. प्रतिवादी संख्या 3 मनोज के हिस्सा व कब्जा की भूमि का विवरण :– चक 9 एम.एल. के खाता संख्या 110/87 के मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 1 का 18 बिस्वा किला नम्बर 10, 11, 20, 21, 22 सालम 19/2 के 5 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 16, 17, 24, 25 कुल 10.03 बीघा (2.568 हैक्टर)

(ग) डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर फरमाई जावे की वह वादीगण कब्जा काश्त की अराजी वाद पत्र की मद संख्या 6 में दर्ज उनके शान्ति पूर्वक कब्जा काश्त में स्वयं अथवा अन्य की सहायता से मदाखलत करनें से बाज व ममनु रहे।

(घ) खर्चा मुकद्मा दिलाया जावे।

(ड) अन्य कोई अनुतोष जो वादीगण के हित में हो प्रदान किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के मध्य आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 27.04.2017 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये वादीगण की पहचान श्री बलराम स्वामी अधिवक्ता तथा प्रतिवादीगण की पहचान श्री एल.एन. लिम्बा अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि पक्षकारान का पंचायत वा मौतबिरान लोगो ने राजीनामा करवा दिया है तथा लोक अदालत की भावना से मिकरान नें आईल्दा मुकदमाबाजी समाप्त करनें तथा सम्बंध स्थापित रखनें को देखते हुए राजीनामा किया है। तथा पूर्व में जो विभाजन आपसी किया जाकर निम्न प्रकार से वादीगण व प्रतवादी संख्या 3 के कब्जा में कृषि भूमि चली आ रही है उस भूमि का उनके खातेदार स्वीकार करते है अतः राजस्व रिकार्ड में वादीगण एवम् प्रतिवादीगण कोई आपत्ति नहीं है। कब्जा भी इस अराजी पर वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 3 का चला आ रहा है।

राज पैरोकार/नायब तहसीलदार हिन्दूमलकोट द्वारा राज्य सरकार की और से जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि विवाद पक्षकारान के मध्य होनें के कारण राज्य सरकार से कोई अनुतोष नहीं चाहा है। अतः राज्य हितो को मध्यनजर रखते हुए निर्णय पारित करनें बाबत निवेदन किया गया।

चुँकि प्रकरण में वादीगण एवम् प्रतिवादी के मध्य राजीनामा पेश होनें से कोई प्रतिवाद नहीं होनें के कारण तनकियात नहीं बनाई गई, वादी द्वारा साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये जिसके अन्तर्गत राजीनामा के बिन्दूओं को ही दोहराया जाकर दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

हमने वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि चक 9 एम.एल. तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 107/84 मुरब्बा नम्बर 45 किला नम्बर 1 ता 13 की 3.101 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 49 किला नम्बर 14, 15, 16, 25 की 0.781 हैक्टर खाता संख्या 110/87 मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 1/.228, 10, 11, 20, 21, 22 का 1.265 हैक्टर किला नम्बर 19./0.061 हैक्टर कुल 1.554 हैक्टर तथा मुरब्बा नम्बर 36 का किला नम्बर 3 ता 8, 13/2 से 24, 25 का 3. 088 हैक्टर नहरी भूमि राजस्व रिकार्ड में वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। जिसमें वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य हुए राजीनामा अनुसार वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार घोषित किया जाकर भूमि का उभय पक्ष के मध्य राजीनामा अनुसार भूमि का विभाजन किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी की जाती है, कि वादी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत वादी एवम् प्रतिवादी की अपनी पैतृक सम्पति के सम्बध में राजीनामा में वादी संख्या 1 अशोक कुमार पुत्र सावनदास जाति अरोड़ा निवासी नगर परिषद कालोनी यू.टी.आई. रोड़ श्रीगंगानगर को 2.856 हैक्टर वादी संख्या 2 वेद प्रकाश सावनदास जाति अरोड़ा निवासी नगर परिषद कालोनी यू.टी.आई. रोड़ श्रीगंगानगर को 3.101 हैक्टर तथा प्रतिवादी संख्या 3 मनोज कुमार पुत्र सावनदास जाति अरोड़ा निवासी नगर परिषद कालोनी यू.टी.आई. रोड़ श्रीगंगानगर को 2.568 हैक्टर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत भूमि का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है :–

1. वादी संख्या 1 अशोक कुमार पुत्र सावनदास जाति अरोड़ा निवासी नगर परिषद कालोनी यू.टी.आई. रोड़ श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
9 एम. एल.	110/87	36	3/.228, 4/.228, 5/.228, 6/.253, 7/.253, 8/.253, 13/1 का .126, 14/.253, 15/.253	2.075 हैक्टर
	107/84	49	14/.253, 15/.228, 16/.228, 25/.072	0.781 हैक्टर
				कुल भूमि :– 2.856 हैक्टर

2. वादी संख्या 2 वेद प्रकाश सावनदास जाति अरोड़ा निवासी नगर परिषद कालोनी यू. टी.आई. रोड़ श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
9 एम. एल	107/84	45	1/.228, 2/.253, 3/.253, 4/.253, 5/.253, 6/.253, 7/.253, 8/.253, 9/.253, 10/.228, 11/.228, 12/.253, 13/.140	3.101 हैक्टर

कारी (राजस्व)
ानगर

A11/5

3. प्रतिवादी संख्या 3 मनोज कुमार पुत्र सावनदास जाति अरोड़ा निवासी नगर परिषद कालोनी यू.टी.आई. रोड़ श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
9 एम. एल	110 / 87	35	1 / .228, 10 / .253, 11 / .253, 20 / .253, 21 / .253, 22 / .253, 19 / 2 का .063	1.556 हैक्टर
		36	16 / .253, 17 / .253, 24 / .253, 25 / .253	1.012 हैक्टर
				कुल भूमि :– 2.568 हैक्टर

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 13.06.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत लट्ठावाली के मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर